झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पत्र संख्या–वन भूमि–20/2022– 1586 व०प०, राँची, दिनांक– 28.4.2023

प्रेषक,

जलज कुमार,
उप परामर्शी।

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, द्वितीय तल,
झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड, मुख्यालय,
हरमू चौक, राँची–834002।

विषय :– **झारखण्ड अर्बन इंफ्रास्ट्राक्चर डेवलेपमेंट कंपनी लिमिटेड (जुडको) का कोनार डैम से हजारीबाग शहर तक पाईप लाईन जलापूर्ति योजना हेतु विभिन्न अव्यवों के निर्माण हेतु 3.561 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची के पत्रांक–471 दिनांक–07.06.2022, पत्रांक–572 दिनांक–29.06.2022 एवं पत्रांक–372 दिनांक–06.04.2023 से प्राप्त मूल प्रस्ताव एवं प्रतिवेदन की छायाप्रति (अनुलग्नक सहित) संलग्न है।

विषयक प्रस्ताव पर राज्य सरकार के निर्णयानुसार निम्नांकित शर्तों के साथ अनुशंसा की जाती है :–

(1) वनभूमि की वैधानिक स्थिति यथावत रहेगी।

(2) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप 3.561 हे0 वनभूमि के NPV की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा देय होगी।

(3) प्रस्तावित वनभूमि के विरूद्व हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल के मौजा–डुमरडीहा में चिन्हित 17 हे0 गैर वनभूमि का हस्तान्तरण वन विभाग के पक्ष में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया जायेगा।

(4) प्रस्तावित वनभूमि के विरूद्व हजारीबाग पूर्वी वन प्रमण्डल के मौजा–डुमरडीहा में चिन्हित 17 हे0 गैर वनभूमि पर क्षतिपूरक वनरोपण की राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा देय होगी।

(5) प्रस्ताव के पार्ट–II एवं III में क्रमशः वन प्रमंडल पदाधिकारी तथा वन संरक्षक द्वारा प्रस्तावित शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।

(6) CWLW के मंतव्य के आलोक में प्रस्तावित शर्त प्रयोक्ता अभिकरण को मान्य होगा।

(7) अन्य मानक शर्तों का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण को बाध्यकारी होगा।

अनुरोध है कि विषयक प्रस्ताव पर अग्रत्तर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन
28/4/2023
(जलज कुमार)
उप परामर्शी।

ज्ञापांक–वन भूमि–20/2022– 1586 व०प०, राँची, दिनांक– 28.4.2023

प्रतिलिपि–सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड, नई दिल्ली–110003 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/4/2023
उप परामर्शी।

ज्ञापांक–वन भूमि–20/2022– 1586 व०प०, राँची, दिनांक– 28.4.2023

प्रतिलिपि–प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची/ परियोजना निदेशक (प्रशासन), झारखण्ड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट कंपनी लिमिटेड (जुडको), प्रगति सदन, कचहरी चौक, राँची–834001 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/4/2023
उप परामर्शी।

PART – V

(To be filled by the Secretary in Charge of Forest Department or by any other authorized officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

Diversion of 3.561 ha of Forest Land for Hazaribagh Urban Water Supply Scheme under Hazaribagh East Forest Division.

18. Recommendation of the State Government

(Adverse comments made by any officer of authority in Part- B or Part – C or Part- D above should be specifically commented upon)

Recommended for Diversion of 3.561 ha of Forest Land with conditions as stated in the forwarding letter no---1586--- dated---28.4.2023---.

28.4.2023

Rajdeep Sanjay Lal John
Additional Secretary
Forest, Environment & Climate Change Department,
Jharkhand Ranchi.

Additional Secretary
Forest Environment And
Climate Change Department
Jharkhand, Ranchi

(Official Seal)

Date:

Place: Ranchi

(11)

कार्यालयः— प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह—कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची ।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड, पिन—834002, Email-pccf-ednodal@gov.in

पत्रांकः— 572 दिनांकः— 29.6.2022

04 JUL 2022

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार राँची।

विषय :— **झारखण्ड अर्बन इंफ्रास्ट्राक्चर डेवलेपमेंट कंपनी लिमिटेड (जुडको) का कोनार डैम से हजारीबाग शहर तक पाईप लाईन जलापूर्ति योजना हेतु विभिन्न अव्यवों के निर्माण हेतु 3.561 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंग :— इस कार्यालय का पत्रांक 471 दिनांक 07.06.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयगत वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव में इस कार्यालय का पत्रांक 471 दिनांक 07.06.2022 के कंडिका— 42 के क्रम में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची के पत्रांक 762 दिनांक 27.06.2022 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा मंतव्य प्राप्त हुआ है, जिसे इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रतर कार्रवाई हेतु भेजा जा रहा है।

अनु0:—यथोक्त।

विश्वासभाजन

29.06.2022

प्रधान मुख्य वन संरक्षक—सह—कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची ।

अपर मुख्य सचिव
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
सं० 2803
06 JUL 2022
झारखण्ड, राँची।

(10) 17

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन्यप्राणी
एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक झारखण्ड
वन भवन डोरण्डा राँची 834002 -

पत्रांक : 762 राँची दिनांक: 27/06/2022

सेवा में,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, रांची।

विषयः- झारखण्ड अर्बन इंफ्रास्ट्राक्चर डेवलेपमेंट कंपनी लिमिटेड (जुडको) का कोनार डैम से हजारीबाग शहर तक पाईप लाईन जलापूर्ति योजना हेतु विभिन्न अव्यवों के निर्माण हेतु 3.561 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव सम्बंधित।

प्रसंगः- आपका ज्ञापांक 471 दिनांक 07.06.2022

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषयक पत्र के संदर्भ में वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव में सम्बंधित क्षेत्रीय पदाधिकारियों - क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक हजारीबाग, वन संरक्षक हजारीबाग एवं पार्ट-II में उप वनसंरक्षक हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल के मंतव्य से सहमत होते हुए अधोहस्ताक्षरी का मंतव्य निम्नवत हैः-

2) परियोजना क्षेत्र के भीतर और आसपास के क्षेत्रों में वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण हेतु वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा rare/endangered/unique species of flora and fauna को Jharkhand हेतु भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण (BSI) द्वारा दी list of threatened plant species endemic to region, और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI) द्वारा झारखंड की जीव-जंतु लुप्तप्राय प्रजातियों की सूची को संदर्भ में रखा जाना अपेक्षित होगा ताकि प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र में और उसके आसपास वैज्ञानिक डेटा का सत्यापन कर पारिस्थितिकी के संभावित कुप्रभाव की रोकथाम और शमन उपायों की निगरानी और बचाव हेतु उचित निर्णय लिया जा सके।

3) हाथियों की आबादी झारखंड में नए क्षेत्रों में फैल रही है और वन्यजीवों के आवासों के गंभीर विखंडन के कारण हाथियों की आवाजाही के क्षेत्र पहले ही प्रतिबंधित हो गए हैं। इसलिए संघर्ष क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा भी विशेष सहयोग की आवश्यकता होगी। यह मानव-हाथी सह-अस्तित्व क्षेत्र को समर्थन और बढ़ावा देकर किया जा सकता है ताकि परियोजना क्षेत्रों के आसपास के क्षेत्र में वन्यजीव शमन उपायों के माध्यम से हाथियों के साथ-साथ मानव के कल्याण को बढ़ावा दिया जा सके |

"उपरोक्त सभी बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए, "प्रस्तावित अपयोजन भूमि के इर्द-गिर्द हाथियों का आवागमन होने की स्थिति में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Project Cost पर स्थानीय वन पदाधिकारियों के परामर्श एवं निदेशन में "एकीकृत साइट विशिष्ट वन्यजीव संरक्षण, प्रबंधन और शमन योजना" (Site Specific Wildlife Management Plan) तैयार कर इसे समयवद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जाना अपेक्षित होगा। प्लान में विशेषकर हाथियों की सुरक्षा के विचारों एवं रैखिक परियोजनाओं के लिए डब्ल्यूआईआई, देहरादून द्वारा प्रकाशित "Eco-Friendly measures to mitigate impact of linear infrastructures on wildlife (2016)" में जारी मानक एसओपी/दिशानिर्देशों के प्रावधानों के पालन सहित परियोजना की स्वीकृति की अवधारणा में सम्मिलित किये जाने की अनुशंसा की जाती है।"

विश्वासभाजन

27/6/22

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी
एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड

29

कार्यालय : प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखंड, राँची।

वन भवन, डोरण्डा, राँची, झारखंड–834002, Email : pccf-ednodal@gov.in

पत्रांक : 372 राँची : 06/04/2023

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार राँची।

विषय :– **झारखण्ड अर्बन इंफ्रास्ट्राक्चर डेवलेपमेंट कंपनी लिमिटेड (जुडको) का कोनार डैम से हजारीबाग शहर तक पाईप लाईन जलापूर्ति योजना हेतु विभिन्न अव्यवों के निर्माण हेतु 3.561 हे0 वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।**

प्रसंग :– विभागीय पत्रांक 2022 दिनांक 19.07.2022

महाशय,

उपर्युक्त विषयक परियोजना झारखण्ड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट कंपनी लि0 (जुडको) का कोनार डैम से हजारीबाग शहर पाईप लाईन जलापूर्ति योजना हेतु विभिन्न अव्यवों के निर्माण हेतु 3.561 हे0 वनभूमि अपयोजन का प्रस्ताव पर विभागीय प्रासंगिक पत्र द्वारा चार बिन्दुओं पर पृच्छा की गई है। उक्त पृच्छित बिन्दुओं का निराकरण प्रतिवेदन क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग के पत्रांक 893 दिनांक 03.04.2023 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। प्राप्त प्रतिवेदनानुसार बिन्दुवार अनुपालन निम्नवत् प्रतिवेदित है:–

1. क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चिन्हित गैर वनभूमि की विवरणी **(अनुलग्नक–01 के रूप में संलग्न)।** विषयक प्रस्ताव में 3.561 हे0 वनभूमि के अपयोजन के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 28 जून, 2022 को प्रकाशित राजपत्र के सिड्यूल 1 के क्रमांक–2 एवं 8 के आलोक में 17 एकड़ गैर मजरूआ खास जंगल भूमि क्षतिपूरक वनरोपण के लिए उपलब्ध कराया गया है। वन प्रमंडल पदाधिकारी, हजारीबाग पूर्वी वन प्रमंडल ने प्रतिवेदन किया है कि उक्त स्थल अधिसूचित वनभूमि से सटा हुआ है, जिसकी अधिसूचना संख्या–CPF10152/-5803 दिनांक 27.12.1952 है।
2. क्षतिपूरक वनरोपण के संबंध में उपयुक्तता प्रमाण –पत्र **(अनुलग्नक–02 के रूप में संलग्न)।**
3. क्षतिपूरक वनरोपण हेतु चिन्हित गैर वनभूमि का नक्शा (KML file सहित) **(अनुलग्नक–03 के रूप में संलग्न)।**
4. क्षतिपूरक वनरोपण की योजना का प्राक्कलन **(अनुलग्नक–04 के रूप में संलग्न)।**

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, हजारीबाग से प्राप्त निराकरण प्रतिवेदन की तीन प्रतियॉ इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजते हुए अनुरोध है कि विषयक मामले में अग्रेतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, 1833

अनु0:–यथोक्त।

विश्वासभाजन,